□□□□ □□□□□
स्□स्थ्य □□ □ि□□□ □ल्□□ □त्र□□□
स्□स्थ्य □□ □ि□□□ □ल्□□ □ि□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□ 1040
22 □□म्□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्□□

□□□□-□□□ □□□□□□□

1040. **श्री** □□ □□□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में मधुमेह रोधी दवाओं (एसजीएलटी-2 □□ि□ि□□□) के एक नए वर्ग के उपयोग के साथ दवा के प्रतिकूल प्रभाव जुड़े हुए हैं;
(□) □ि□ □□,□□ □त्□□□□ ब्□□□ क्□□ □□;
(□) क्□ सरकार के पास तमिलनाडु के संबंध में इन दवाओं की प्रतिकूल रिपोर्ट/कुप्रभाव का कोई ब्यौरा □□□□ □ि□ □□,□□ □त्□□□□ ब्□□□ क्□□ □□;
(घ) क्या भारत के औषध नियंत्रक ने देश में इस दवा को भारत में बेचने की अनुमति दी है और यदि □□,□□ □त्□□□□ ब्□□□ क्□□ □□;□ □
(□) □□□□□ द्□□□□ '□□□□□□□□ी-2' के उपयोग के विरुद्ध भारत में लाखों मधुमेह रोगियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

□त्□□

स्□स्थ्य एवं परिवार कल्या□ □□ज्□ मंत्री (श्री अश्व□□ □□□□□ □□□)□

(□) □□□ (□): केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा अग्न्या□□ □ी □□□ (□व्र और पुराना) के संभावित खतरे पर सुरक्षा समीक्षा के सारांश (एसएसआर) के संबंध में सभी सोडियम-ग्□□□□ □□-ट्रांसप्रोटर 2 (एसजीएलटी 2) अवरोधक मार्केटिंग प्राधिकरण होल्ड□ □□ □ल्□ □□□□□ □प्रे□□ के विषय में अधिसूचित किया गया।

□□क्□ □□ज्□ खाद्य तथा औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने अपने खाद्य सुरक्षा संप्रेषण (डीएससी) में स्□ष्□ किया है कि एसजीएलटी 2 इनहेबीटर्स के प्रयोग से रोगियों हेतु जोखिम के प्रति नई चेतावनियां □□ □ि□□ □□□□□□□□□□□□□□ी 2 □□ि□ि□□□ □□स्□रों को यूएसएफडीए द्वारा संशोधित किया गया □□

□□ □□स□ का विषय विशेषज्ञ समिति सीएसईसीडी के परामश से जांच का गइ तथा भारतीय फार्मा को निगरानी कायक्रम के तहत उपलब्ध □□□□ प्र□ष्□ □ा □□□

□द□□□ □□□□□□□ा 2 इर्नाहिबिटस वग औषधि निमाताओंजैसे कैनाग्ला□□□□□, □□□ग्□ा□□□□□□, □म्□□ग्□ाफलोजीन आदि को इन औषधियां पर अंदर पैकेज तथा सवधनात्म□ □ा□ित□ □□ □□□□□ लिखने हेतु निदश देने के लिए सीडीएससीओ ने राज्य औषधि नियंत्रकों से अनुरोध किया है।

□□□□□: □नीटल तथा जेनीटल के आसपास दुलभ तथा गंभीर संक्रमण का रिपोट प्राप्त □□ □□□□ □□□ दुलभ संक्रमण जो नेक्रोटाइजिंग है, □□□□□□ □ □□□ □इसे फोरनियर गग्रीन भी कहा जाता है।

(□): भारतीय फामा को निगरानी कायक्रम के तहत तमिलनाडु से प्राप्□ □□□□□□□ा-2 इर्नाहिबिटस से संबंधित दुष्प्र□□ □ा□ि□□□□ □□□□ग□□ म दिए गए ह।

(□): निम्न □□□□□□□ा-2 इर्नाहिबिटस के निमाण के आयात/माकट हेतु सीडीएससीओ द्वारा अनुमति दी □□ □: □□□ग्□ा□□□□□□, □□□ग्□ा□□□□□□ □□□ □म्□□ग्□ा□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ग्□ा□□□□□□+□□□□□ि□, □□□ग्□ा□□□□□□+ □□□□□□□, □म्□□ग्□ा□□□□□□+□□□□□□□ □□□ ग्म्□□ग्लो□□□□□□+ि□□ग्□ा□ा□ □□□ □□□ग्□ाफलोजीन का निमाण/माकट शामिल ह।

(□): □□□ ि□ □□□ □ि□□ □□□□□ □□ज□ □ □ि□ नियंत्रकों से इन औषधियां के पैकेज तथा सवधानात्म□ □ा□ित□ □□ □ि□□ ि□□□□□ ि□□□□□□□□□□□□ा-2 इर्नाहिबिटस वग का औषधियां के विनिमाताओं को निदश देने का अनुरोध किया गया है।

क्र. [illegible]	[illegible]-2 इर्नाहिबटस	[illegible]	[illegible] प्र[illegible]
1	[illegible]	3	• [illegible] • [illegible] • उल्वोवैजिनालिमार्योटिक संक्रमण • [illegible]- • [illegible]
2	[illegible]	10	• बालानओपोर्टिटज • [illegible] म कमजोरो • [illegible] • [illegible] • पाइलानफ्राइटिस • [illegible] • [illegible] • [illegible] • ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर म कमी आई • रक्त क्रिएर्टानिन म वृद्धि हुई • [illegible]
3	[illegible]	6	• रक्त क्रिएर्टानिन म वृद्धि हुई • [illegible] • पूर्ति • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible]